

थाना नूरपुर व स्वाट टीम द्वारा गैंगस्टर अधिनियम में वाँछित व 15,000/- रुपये के इनामी अभियुक्त पीतम व सुमित को अवैध शस्त्रो सहित गिरफ्तार ।

पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 28.10.20 को स्वाट टीम व थाना नूरपुर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त 1. पीतम पुत्र हरिराज नि0 ग्राम दत्तियाना थाना चांदपुर बिजनौर व 2. सुमित पुत्र सकटू सिंह नि0 ग्राम दत्तियाना थाना चांदपुर बिजनौर को नहतौर चौराहे से अवैध शस्त्रो सहित गिरफ्तार किया गया । उपरोक्त दोनों अभियुक्त थाना चांदपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-543/20 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट में वाँछित चल रहे थे तथा दोनों अभियुक्त 15000-15000 रू0 के इनामी है । दोनों अभियुक्तो के कब्जे से एक-एक तमंचा 315 बोर व एक-एक कारतूस बरामद हुए है। अभियुक्त पीतम के विरुद्ध थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0-344/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि व अभियुक्त सुमित के विरुद्ध मु0अ0सं0-345/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि पंजीकृत किये गये हैं।

अभियुक्तगणो का नाम:-

1. पीतम पुत्र हरिराज नि0 ग्राम दत्तियाना थाना चांदपुर, बिजनौर
2. सुमित पुत्र सकटू सिंह नि0 ग्राम दत्तियाना थाना चांदपुर, बिजनौर



सुमित



पीतम

अभियुक्त पीतम पुत्र हरिराज उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

- 1-मु0अ0स0-14/20 धारा 60(1) अधि थाना चांदपुर, बिजनौर
- 2-मु0अ0स0-40/19 धारा 60(1) अधि थाना चांदपुर, बिजनौर
- 3-मु0अ0स0-316/19 धारा 60(1) अधि थाना चांदपुर, बिजनौर
- 4-मु0अ0स0-700/19 धारा 60(1) अधि थाना चांदपुर, बिजनौर
- 5-मु0अ0स0-648/17 धारा 147/148/452/323/504/427 भादवि थाना चांदपुर, बिजनौर
- 6-मु0अ0सं0 543/20 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना चांदपुर, बिजनौर
- 7-मु0अ0स0-344/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि थाना नूरपुर, बिजनौर

अभियुक्त सुमित पुत्र सकटू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

- 1-मु0अ0स0-648/17 धारा 147/148/452/323/504/427 भादवि थाना चांदपुर, बिजनौर
- 2-मु0अ0सं0 543/20 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना चांदपुर, बिजनौर
- 3-मु0अ0स0-345/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि थाना नूरपुर, बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

थाना नूरपुर टीम

- 1- उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना नूरपुर, बिजनौर,
- 2- उ0नि0 श्री नीरज तोमर थाना नूरपुर, बिजनौर
- 3- का0 1157 अनिल कुमार थाना नूरपुर, बिजनौर ,
- 4- का0 429 कपिल कुमार थाना नूरपुर, बिजनौर

एस0ओ0जी0 टीम बिजनौर

- 1-उ0नि0 श्री संजय कुमार
- 2-उ0नि0 श्री मनोज परमार
- 3-का0 1002 खालिद
- 4-का0 1232 अरूण कुमार
- 5-का0 941 बेताव जावला
- 6-का0 1579 रहीश अहमद

पुलिस अधीक्षक बिजनौर के निर्देशन में समस्त थाना प्रभारी मय फोर्स के सभी बँकों को चैक कर, बैंक में आने वाले लोगों को कोविड-19 से बचाव हेतु मास्क लगाने व कैश जमा करने/निकालने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने हेतु बताया गया ।



थाना रेहड:- थाना रेहड पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1- बीर सिंह पुत्र कृपाल सिंह उम्र 45 वर्ष नि0 ग्राम कल्लूवाला थाना रेहड जनपद बिजनौर 2- अमनदीप पुत्र रणजीत सिंह उम्र 27 वर्ष नि0 ग्राम कल्लूवाला थाना रेहड जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151/107/116 सी आर पी सी मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



थाना मंडावली:- थाना मंडावली पुलिस द्वारा अभियुक्त रितु पुत्र भीम सिंह निवासी ग्राम व थाना मंडावली बिजनौर को एक चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया । जिसके विरुद्ध थाने पर मु0अ0सं0 207/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।



थाना अफजलगढ:- थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा अभियुक्त अब्दुल्ला पुत्र मौ० उमर निवासी मौ० नेजोसराय थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर सम्बन्धित मु०अ०सं० 318/20 धारा 354ए भादवि व 7/8 पोक्सो अधिनियम में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



थाना शेरकोट:- थाना शेरकोट पुलिस द्वारा अभियुक्त इस्लाम नवी पुत्र अब्दुल सलाम निवासी ग्राम लालपुर बक्सऔर थाना कुंडा जिला उधम सिंह नगर संबंधित मु०अ०सं० 298 / 20 धारा 498ए ,323 ,504, 506 व 3 / 4 मुस्लिम विवाह अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



थाना कोतवाली देहात:- थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा वाँछित अभियान के तहत अभियुक्त सुंदर पुत्र बाबूराम निवासी कोरिया कैंप कोटद्वार थाना कोटद्वार जिला पौड़ी गढ़वाल को मुकदमा अपराध संख्या 254 / 20 धारा 323/324/307/504 आईपीसी ने गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



थाना कोतवाली शहर:- थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 670/20 धारा 379/411 भादवि व मु0अ0सं0 721/20 धारा 307 भादवि के वाँछित अभियुक्त फरमान उर्फ मासूम पुत्र निसार कुरैशी निवासी मौ0 चाहशीरी थाना कोतवाली शहर बिजनौर को एक बाईक स्पेलेण्डर व 02 मोबाईल सहित गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



थाना हीमपुर दीपा:- थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1- नरेंद्र पुत्र सुमेर सिंह 2- नरेश पुत्र कर्ण सिंह निवासी गण ग्राम गन्नौर थाना हीमपुर दीपा 3- रेख पाल पुत्र भारत सिंह 4- सुशील उर्फ मिंटू पुत्र रमेशनिवासी गण ग्राम मनौटा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर 5- मोहम्मद शाहनवाज पुत्र शमशाद निवासी ग्राम पिपली जट हीमपुर दीपा को अंतर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



थाना नगीना:- थाना नगीना पुलिस द्वारा अभियुक्त फरीद अहमद पुत्र सफीक अहमद निवासी मोहल्ला पाली दरवाजा कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर को भाई बाड़ी करते हुए एक गत्ते का टुकड़ा में ₹320 वह सट्टा पर्ची के साथ मौके से गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध में थाना नगीना पर मु0अ0सं0 497 / 20 धारा 13 जुआ एक्ट पंजीकृत किया गया ।



थाना नगीना:- आज दिनांक 28.10.2020 को प्रभारी निरीक्षक श्री कृष्ण मुरारी दोहरो की अध्यक्षता में कोतवाली नगीना के प्रांगण में आगामी बारावफात के त्यौहार को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है। जिसमें लोगों से शांति पूर्वक त्यौहार मनाने व कोरोना संक्रमण की गाईड लाईन का पालन करने हेतु बताया गया।



जनपद बिजनौर दिनांक-28.10.2020



मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
शास्त्रीय नवरात्र, 2020 - वासन्तिक नवरात्र, 2021

जनपदीय एण्टी रोमियो प्रभारी उ०नि० श्रीमती नीलम सिंह व कोतवाली शहर एंटी रोमियो प्रभारी उ०नि० कुमारी आशा तोमर द्वारा मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत कोतवाली शहर बिजनौर में स्थित DDPS पब्लिक स्कूल में अध्यापिकाओ को हैल्पलाईन नंबर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 आदि के बारे जागरुक किया । साथ ही कोरोना से बचाव हेतु मास्क पहनने तथा दूरी बनाए रखने और जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में बताया ।



थाना स्योहारा की एंटी रोमियो टीम प्रभारी उ०नि० कुमारी जूली त्यागी द्वारा मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत थाना स्योहारा क्षेत्रान्तर्गत RSP इण्टर कालेज व बिडला कन्या इण्टर कालेज में अध्यापिकाओ/छात्राओ को हैल्पलाईन नंबर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 आदि के बारे जागरुक किया । साथ ही कोरोना से बचाव हेतु मास्क पहनने तथा दूरी बनाए रखने और जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में बताया ।



थाना धामपुर की एंटी रोमियो टीम द्वारा मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत थाना धामपुर क्षेत्रान्तर्गत RSM डिग्री कालेज में अध्यापिकाओ/छात्राओ को हैल्पलाईन नंबर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 आदि के बारे जागरूक किया । साथ ही कोरोना से बचाव हेतु मास्क पहनने तथा दूरी बनाए रखने और जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में बताया तथा क्षेत्र में चैकिंग अभियान चलाया ।



थाना हीमपुर दीपा की एंटी रोमियो टीम द्वारा अपने क्षेत्र/बाजार/बसो में जाकर बालिकाओं को उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये मिशन शक्ति के रूप में विशेष अभियान के सम्बन्ध में जागरूक कर चैकिंग अभियान चलाया ।



थाना रेहड की एंटी रोमियो टीम द्वारा अपने क्षेत्र/बाजार/बसो/स्कूलो में जाकर बालिकाओं को उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये मिशन शक्ति के रूप में विशेष अभियान के सम्बन्ध में जागरूक कर चैकिंग अभियान चलाया ।

